6338

उन्होंने बहुत से रेस्ट्रिक्शन्स हटा दिये हैं। में जानना चाहता हं कि क्या ग्रब सिविल ग्रधिकारियों से मत सैनिकों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं तलब की जायेगी । अगर नहीं की जायेगी तो उनकी पेन्शनों के वास्ते क्या प्रोसीजर होगा।

Shri Y. B. Chavan: As I have mentioned in one of the replies, the difficulties of the procedures for finding out the facts about heirs and proving them have now been solved by simplification of the procedures. the certificate of the Sarpanch of the village or the people who are nearby will be acceptable as final I think this would possibly expedite decisions in these matters.

Diwakar Committee Report

Shri Surendra Pal Singh: Shri Yashpal Singh: Shri R. S. Pandey: Shri Uikey: Shri Sidheshwar Prasad: *620. 🗸 Shri Ramachandra Ulaka:

> Shri Radhelal Vyas: Shri P. R. Chakraverti: Shri K. N. Tiwari:

Shri Dhuleshwar Meena:

Shri U. M. Trivedi:

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 272 on the 30th November, 1964 regarding Diwakar Committee Report on the conditions of small newspapers and state:

- (a) whether the said Report has since been submitted to Government; and
- (b) if so, its broad recommendations and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

भी यक्षपाल सिंह : इतने दिनों से सरकार ने यह काम सौंपा हुआ है। हम किस तारीख तक उम्मीद करें कि यह काम हो जायगा ? कोई डेफिनिट डेट दे सकेंगे ?

Shri C. R. Pattabhi Raman: There was a period of six months: they could not finish their work. So, the time has been extended. The work is so immense.

Mr. Speaker: Whether a date can be given now__that is what the wants.

Shri C. R. Pattabhi Raman: We are expecting it soon.

श्री यशपाल सिंह : जब तक कि ये सिफारिशें न भावें तब तक हिन्दी पत्नों के लिए और ग्रन्य भारतीय भाषाओं के ग्रखवारों के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ? उनके सामने जो दिक्कतें रोज भाती हैं, कहीं कोटे की दिक्कत, कहीं विज्ञापन की विक्कत ? इन को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

Shri C. R. Pattabhi Raman: extension is up to 11th August, 1965. Even then, they feel that they want more time. Apart from that . . .

Mr. Speaker: Has any interim decision been taken or not?

Shri C. R. Pattabhai Raman: No, Sir.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जानना चाहता हं कि किन वजहीं से उप समिति ने भीर मधिक समय की मांग की है, क्या इस के काम के रास्ते में कोई कठिनाई भा गयी है. या सरकार ने इसके टर्म्स प्राफ रेफरेंस का दायरा बढ़ा दियां है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : वह ऐसे पत्रकारों से मिलने के लिए सारे देश में घुम रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर लगी है।

shri P. R. Chakraverti: May I know whether the Government has received a representation from this Committee, complaining against the latest decision of the Government to reduce the limit on the permissible extent of advertisement?

Shri C. R. Pattabhi Raman: It might have been two or three days ago. But we are not aware of this.

श्री क० ना० तिवारी: ग्रभी मंत्री जी ने कहा "वैरी सून"। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही रिपोर्ट माने की ग्राशा कर रहे हैं। यह "वैरी सून" तो ग्राफिशियल जवाब हो गया। पर मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा, दो महीना, चार महीना, 6 महीना, इस में क्या टाइम लिमिट है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : बाद में उन्हों ने बताया था कि 11 ग्रगस्त तक एक्सटेंशन मिला है।

भारतीय भाषाम्रों के समाचारपत्रों के लियें विज्ञापन + ्रभी प्रकाशवीर शास्त्री : श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) भारतीय भाषाम्रों के समाचार पत्नों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;
- (ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; भीर
- (ग) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंडिरा गांघी) : (क) भारतीय भाषाग्रों के समाचार-पत्नों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध के कोई खास हिदायतें नहीं दी गई हैं।

- (ख) जी, हां।
- (ग) सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के पत्नों को उत्तरोत्तर मधिक विज्ञापन दिये जायें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: श्रीमन, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को जो ज्ञापन श्राप्त हुए हैं भारत य भाषाओं के समाचार-पत्नों की श्रोर से, उनमें सरकार पर कुछ ऐसे भी ग्रारोप लगाए गए हैं कि सरकारी विज्ञापन उन्हीं समाचार-पत्नों को विशेष रूप से दिए जाते हैं जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, जो जनता का समर्थन करते हैं उनको विज्ञापन नहीं दिए जाते ?

श्रीमती इंदिरा गांची : जी नहीं।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: ग्रभी दो तीन दिन पूर्व विक्त मन्द्रालय ने विज्ञापनों के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की है जिससे समाचार-पत्नों के सामने बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उस सम्बन्ध में क्या सूचना मंत्रालय से उन्होंने कुछ परामर्श किया था?

श्रीमती इंदिरा गांशी : जी नहीं।

Shri Jaipal Singh: May I know whether these advertisements are given on the basis of the circulation of the paper or whether some other criterion is adopted?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman): Circulation is also kept in mind. But I may inform the House that in the current year, April, 1964 to February, 1965, 882 Indian language papers have been used for display advertisements as against 291 in 1954-55. The proportion has increased. We are taking many other things also into consideration.

Mr. Speaker: Shri Vidya Charan Shukla.